331

331

संख्या– /VI/2016–22(7)2014

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग देहरादून : दिनांक: 16 मार्च, 2016

विषयः– जनपद–हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर में बहुउद्देशीय कीड़ाहॉल के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1141/भग.स्टे.पत्रा./2014–15, दिनांक 05 जनवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद–हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर में बहुउद्देशीय कीड़ाहॉल के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश, जिला हरिद्वार को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए प्रथम चरण के कार्यो हेतु शासनादेश संख्या–13/VI–2/2015–22(7)/2014, दिनांक 06 जनवरी, 2015 के द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 2.81 लाख (₹ दो लाख इकासी हजार मात्र) के पश्चात् विभागीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 30 सितम्बर, 2015 में प्राप्त निर्देशों के कम में द्वितीय चरण हेतु संशोधित कार्यो हेतु प्राप्त आगणन का टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹ 116.14 लाख **(सिविल निर्माण कार्यो हेतु ₹103.98 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यो हेतु ₹12.16 लाख)** मात्र की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त कुल धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 40% यानीकि **₹50.00 लाख (₹ पचास लाख मात्र)** की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014, में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–474/XXVII(7)/2008 दि0–15–12–08 के विहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

331-A

4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

6. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

8. अधिप्राप्ति कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

9. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

11. उक्त व्यय **चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या–30 के लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–03 इण्डोर हॉल/हॉस्टल का निर्माण–24 वृहत निर्माण कार्य के मानक मद** के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–414(P)/XXVII(3)/2015–16, दिनांक 14 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–अलाटमेंट आई0डी0 संख्या S1603300268 **दिनाक** 16 **मार्च, 2016**

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।